# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 1917/2025**

हनुमान राम **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक अराजपत्रित, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राजस्थान एवं अति0 निदेशक (प्रशासन) एवं पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. बीसीएमओ परबतसर, जिला डीडवाना–कुचामन।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 05.02.2025
**आदेश की दिनांक** : 07.03.2025
**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री दिलीप सिंह कुरका, अधिवक्ता

**समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर राजकीय पीएचसी गुल्लर, परबतसर, जिला डीडवाना–कुचामन में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर किया गया है। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को दिनांक 27.01.2025 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया, जबकि वर्तमान पदस्थापन पर कई पर रिक्त है। अपीलार्थी की पत्नी राजकीय सेवा में अलतवा, नागौर में कार्यरत है। अपीलार्थी के बच्चे पदस्थापित स्थान पर ही अध्ययनरत है। अपीलार्थी के माता–पिता वृद्धावस्था की कई बीमारियों से पीड़ित है। अपीलार्थी का कथन है कि कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय पीएचसी गुल्लर, परबतसर, जिला डीडवाना–कुचामन से मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर किया गया है। जहां तक अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किये जाने का प्रश्न है, तो हम पाते हैं कि *मंत्रीमण्डल सचिवालय राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति क्रमांक प.11(6)मं.मं./2023 जयपुर दिनांक 15.03.2024 के द्वारा चिकित्सा मंत्री महोदय को पंचायतीराज विभाग की अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का स्वतंत्र प्रभार आवंटित किया हुआ है।* आलोच्य आदेश में भी सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् आदेश जारी किये जाने का तथ्य अंकित है।

हम यह पाते है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश सक्षम स्तर पर अनुमोदित है। ऐसे में हम अपीलार्थी के आलोच्य आदेश में राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) उल्लंघन होना नहीं पाते हैं। अपीलार्थी के स्थानांतरण में किसी प्रकार की दुर्भावना रही हो, यह प्रकट नहीं होता है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना उचित समझता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी अपनी पारिवारिक परिस्थिति के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**